

प्रेषक,

आयुक्त,

झाँसी मण्डल झाँसी।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,

प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/एनओसी/ 4042-49 /2022-23 दिनांक-30-07-2022

विषय:-विस्टेरिया एकेडमी स्कूल सागर रोड चौका बाग, ललितपुर को सीबीएसई बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं० 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद, ललितपुर में स्थित संस्था विस्टेरिया एकेडमी स्कूल सागर रोड चौका बाग ललितपुर के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जॉचोपरान्त विस्टेरिया एकेडमी स्कूल सागर रोड चौका बाग ललितपुर को सीबीएसई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः विस्टेरिया एकेडमी स्कूल सागर रोड चौका बाग ललितपुर को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनमें उ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।


क्रमशः:02 पर....

(02)

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

विद्यालय को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के तीन माह पश्चात् पुनः विद्यालयों का स्थलीय-निरीक्षण कर प्रतिबन्धों की पूर्ति का परीक्षण किया जाएगा तथा पूर्ति न होने की दशा में एवं संस्था के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों को राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों से कम भुगतान किए जाने की स्थिति पायी जाती है तो सम्बन्धित संस्थान के अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)
अपर आयुक्त (प्रशासन)
झाँसी मण्डल झाँसी।

पृष्ठांकन सं०/एन०ओ०सी०/4042-49 /2022-23 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में।
3. जिलाधिकारी, ललितपुर।
4. शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र०, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर।
6. निरीक्षक, आंग्ल भाषा विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, विस्टेरिया एकेडमी स्कूल सागर रोड चौका बाग ललितपुर।


(संजय यादव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।